GCMS No. : 2023/132

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी – डॉ हरीतिमा, आर०ए०एस०

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 57 / 2023

हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री अर्जुन कुमार गोयल पुत्र श्री गिरधारी लाल गोयल।

फर्म– मै. अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(।।)/51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय **दिनांक** : 28 जुलाई, 2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हेतराम कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09.03.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, (खाद्य सुरक्षा), राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 29.03.2023 द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.05.2023 का समय 2.30 बजे मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, सादुलशहर पहुंचे, मौके पर श्री अर्जुन कुमार गोयल विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से खुले थैले में रखे **बेसन (खुला)** 20 किलो को मिठाई बनाकर आमजन को बेचान हेतु बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के बेचान हेतु खाद्य पदार्थ **बेसन(खुला)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **बेसन(खुला)** 02 किलोग्राम साफ–सुथरी स्टील ट्रे में खरीद किया और मौके पर क्रयशुदा **बेसन(खुला)** का नगद भुगतान 140 रुपए भुगतान किया एवं केशमीमो बनवाकर, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहो के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन(खुला)** को बराबर चार भागो में बांटकर डिब्बो में भरकर ढक्कन को

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

एयरटाइट किया और प्रत्येक डिब्बे पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डीओ श्रीगंगानगर के कोड एवं कमांक **के–1795** लगाया और प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

खरीद शुदा **बेसन(खुला)** के चारों भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **के–1795** को नियमानुसार चारों नमूनों को नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाए कि पेपर एवं स्लीप दोनों पर आए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर, समझाकर फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हेतु कहा, जिसे श्री अर्जुन कुमार गोयल व गवाहान ने समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सीलबन्द कर अगले कार्यदिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की तथा शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा कराकर रसीद ली गई। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, बीकानेर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 656/एक्ट/2023/656 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार खाद्य नमूना **के–1795** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ **बेसन(खुला) अमानक (सबस्टेण्डर्ड)** फूड पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 14.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि चरण संख्या 1 ता 12 से अभियुक्तगण को कोई विरोध नहीं है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियुक्तगण की तरफ नर्मी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही का निस्तारण किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः जवाब परिवाद पत्र पेश कर निवेदन है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही को ड्रोप करने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री अर्जुन कुमार गोयल, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, सादुलशहर, श्रीगंगानगर से लिया गया **बेसन(खुला)** का सैम्पल **के–1795** जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस 656/एक्ट/2023/656 दिनांक 15.05.2023 द्वारा **सब स्टेण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)/51 के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "**Besan**" bearing Code No. and Sr. No. K-1795 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar, is **Sub-standard Food** as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standard and Food Additive) Regulation, 2011.

फलस्वरूप, श्री अर्जुन कुमार गोयल, मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मेन बाजार, सादुलशहर, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II)/51 के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अर्जुन कुमार गोयल को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डॉ हरीतिमा)
अति जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।